IWMP
परिपत्र क्र.13

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
द्वितीय तल, विंध्याचल भवन
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. 13709/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2011 भोपाल, दिनांक 06/09/11

प्रति,

कलेक्टर,
मिशन लीडर – राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
जिला – समस्त

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं के कार्यकलापों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन तथा प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति के संबंध में

1. **पृष्ठभूमि** :–

1.1 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme-IWMP) के अंतर्गत नवीन जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनायें प्रारंभ की गई हैं। इन परियोजनाओं के उद्देश्यों, विभिन्न चरणों और इन चरणों के कार्यकलापों का विस्तृत विवरण एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र.–5 (जावक क्र.11426, दिनांक 23.8.2010) में दिया गया है।

1.2 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के कार्यकलापों की समुचित आयोजना और पारदर्शी एवं परिणाममूलक कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के अनुमोदन, वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन तथा विभिन्न मदों के कार्यकलापों की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति के संबंध में यह आदेश जारी किया जा रहा है।

2. **विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report - DPR) का अनुमोदन** :–

2.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा वाटरशेड समिति के सहयोग से

''माइक्रोवाटरशेडवार'' पृथक पृथक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार किया जायेगा। यह प्रतिवेदन वास्तव में एक ऐसा समग्र दस्तावेज होगा, जिसमें आधारभूत आंकड़ें व संसाधनों की वर्तमान स्थिति का विवरण तथा इनका विश्लेषण, ग्राम स्तरीय संस्थागत व्यवस्था, स्वीकृत परियोजना लागत की राशि तथा अभिसरण से नियोजित वित्तीय स्त्रोंतों की राशि से संपूर्ण परियोजना अवधि में विभिन्न मदों में निष्पादित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों का विस्तृत विवरण तथा अपेक्षित परिणामों का उल्लेख होगा।

2.2 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की आधारभूत जानकारी और इन प्रतिवेदनों में शामिल कार्यकलापों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को एकजाई कर प्रत्येक परियोजना हेतु **एकजाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की संक्षेपिका** भी तैयार की जाएगी, जिसका प्रारूप **अनुलग्नक – 1** अनुसार हो सकता है। यह प्रारूप सांकेतिक है, इसमें जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य जानकारी/अवयव जोड़े जा सकते हैं।

2.3 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वाटरशेड समिति की अनुशंसा उपरांत ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जायेगा और इसके पश्चात जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत किया जायेगा।

2.4 जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा परियोजनावार प्रत्येक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में परीक्षण किया जायेगा :–

2.4.1 भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008 में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत (कॉमन गाइड लाईन) की कंडिका 51, 52, 53, 54, 55, 57 तथा 58 के प्रावधानों अनुसार तथा मिशन मुख्यालय के आदेश क्र.13301/22/वि–9/आरजीएम/2010 दिनांक 1.10.2010 के साथ संलग्न रूपरेखा अनुसार वांछित सभी अवयव/विवरण एवं समय समय पर मिशन मुख्यालय द्वारा निदेशित अन्य विवरण

2.4.2 हाउसहोल्ड सर्वे, नेट प्लान तथा अन्य सर्वेक्षणों के आंकड़े, विश्लेषण व निष्कर्ष

2.4.3 विविध कार्यकलापों के प्रस्ताव, प्राक्कलन व ड्राइंग/डिजाईन। वाटरशेड विकास कार्य के प्रस्तावों का कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से परीक्षण करा लिया जाये।

2.4.4 उपरोक्त विवरण/आंकड़ों तथा प्राक्कलन व ड्राइंग/डिजाईन की प्रमाणिकता/सत्यता

2.4.5 आई.डब्ल्यु.एम.पी. की परियोजना निधि से सभी माइक्रोवाटरशेडों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को एकजाई किये जाने पर संपूर्ण परियोजना हेतु विभिन्न मदों और इनमें प्रस्तावित कार्यकलापों की लागत का विभाग द्वारा जारी परिपत्र – 4 (जावक क्र.12685, दिनांक 20.09.2010) के साथ संलग्न किये गये अनुलग्नक – 2 में दर्शाई गई व्यय की अधिकतम सीमा के अनुरूप होना।

2.5 परियोजनावार प्रत्येक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा इसे **''जिला स्तरीय वाटरशेड समिति''** के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ समन्वयक – जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह अनुशंसा करेंगे कि वे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और इसके विभिन्न अवयवों से संतुष्ट हैं। **''जिला स्तरीय वाटरशेड समिति''** द्वारा प्रत्येक परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का एकमुश्त अनुमोदन प्रदाय किया जायेगा। **''जिला स्तरीय वाटरशेड समिति''** का गठन संबंधित विभागों (विशेषकर किसान कल्याण एवं कृषि विकास, वन, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास इत्यादि) के जिला स्तरीय प्रथम श्रेणी अधिकारियों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि को शामिल कर किया जायेगा। ''जिला स्तरीय वाटरशेड समिति'' के अध्यक्ष कलेक्टर/मिशन लीडर होंगे तथा सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होंगे।

2.6 परियोजना अवधि/परियोजना कार्यान्वयन के दौरान यदि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल किसी कार्यकलाप में संशोधन अथवा किसी नवीन कार्यकलाप को शामिल करने की आवश्यकता होती है तो यह संशोधन/नवीन प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाकर अनुमोदित किया जा सकेगा, तदोपरांत ही यह संशोधन/नवीन प्रस्ताव अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अव्यव माना जायेगा।

2.7 अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, इसकी संक्षेपिका तथा इसमें किये जाने वाले संशोधन/नवीन प्रस्ताव की 4 प्रतियां तैयार की जायेगी। इनमें से 1–1 प्रति परियोजना

कार्यान्वयन एजेंसी/वाटरशेड डेवलपमेंट टीम, वाटरशेड समिति, जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर तथा स्टेट लेवल नोडल एजेंसी (मिशन मुख्यालय) के पास उपलब्ध रहेगी।

3. <u>वार्षिक कार्य योजना (Annual Action Plan - AAP) का अनुमोदन</u> :–

3.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की प्रत्येक परियोजना के लिए उपरोक्त अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित होने के उपरांत इसके आधार पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/वाटरशेड डेवलपमेंट टीम को वाटरशेड समिति के सहयोग से प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना (Annual Action Plan - AAP) तैयार करना होगी। वार्षिक कार्य योजना करने के लिए **अनुलग्नक – 2 व 3** में दर्शाये गये प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रारूप सांकेतिक है, इसमें जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य जानकारी/अवयव जोड़े जा सकते हैं।

3.2 उपरोक्त अनुसार वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करना, पूर्व वित्तीय वर्ष की अद्यतन प्रगति का विश्लेषण करना और जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर से पी.आई.ए. स्तर तथा वाटरशेड समिति को परियोजना निधि का समुचित प्रवाह सुनिश्चित करना है। **<u>वार्षिक कार्य योजना तैयार करना इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्य योजना के आकंड़ों के आधार पर ही भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम हेतु आकल्पित MIS के एक महत्वपूर्ण अव्यव के आकड़ों की प्रविष्टि की जाएगी। वार्षिक कार्य योजना में उल्लेखित लक्ष्यों के अनुक्रम में अर्जित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर संबंधित परियोजना कार्यान्वन एजेंसी / वाटरशेड डेवलपमेंट टीम की दक्षता का आकलन भी किया जायेगा।</u>**

3.3 वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जावेगा :–

3.3.1 परियोजना अवधि औसतन 5 वर्ष होगी, तद्नुसार वांछित वित्तीय वर्षों की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना होगी

3.3.2 चयनित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यकलापों में से कौन सा कार्य परियोजना अवधि के किस वर्ष में लेना है, इसका निर्धारण वॉटरशेड विकास के रिज टू वैली के सिद्धांत को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

3.3.3 चयनित अन्य कार्यकलापों में से कौन सा कार्य परियोजना अवधि के किस वर्ष में लेना है इसका निर्धारण विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र.–5 (जावक क्र.11426, दिनांक 23.8.2010) में उल्लेखित अनुसार परियोजना के विभिन्न चरणों और इनमें शामिल कार्यों के कार्यान्वयन के क्रम को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

3.3.4 अभिसरण से लिये जाने वाले कार्यकलापों में से कौन सा कार्य परियोजना अवधि के किस वर्ष में लेना है इसका निर्धारण संबंधित वित्तीय स्त्रोत/योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और प्रावधानों को ध्यान में रखकर तथा संबंधित प्रभारी अधिकारी से विचार विमर्श कर किया जायेगा।

3.3.5 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश निर्गमन की किश्तों की संख्या, कुल परियोजना लागत की राशि के संदर्भ में इन किश्तों की राशि के प्रतिशत और परियोजना अवधि के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के निष्पादन हेतु निर्धारित/संभावित वर्ष के दृष्टिगत 5 वर्ष की परियोजना अवधि में परियोजना निधि के विभिन्न मदों में संभावित वर्षवार उपयोग का सांकेतिक विभाजन **अनुलग्नक – 4** पर दर्शाया गया है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय इस विवरण को भी ध्यान में रखा जाए।

3.3.6 प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी /वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना चालू वित्तीय वर्ष के **माह फरवरी** के अंत तक अनिवार्यतः तैयार कर जिला वॉटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत कर दी जाएगी। जिला वॉटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा इन वार्षिक कार्य योजनाओं का परीक्षण पूर्व में अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के संदर्भ में करेगा। इन वार्षिक कार्य योजनाओं को जिला वॉटरशेड सेल सह डाटा सेंटर के समन्वयक अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

4. <u>कार्यकलापों की प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति</u> :–

4.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं के कार्यकलापों की **<u>प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अधिकार तथा सक्षम प्राधिकारी का प्रावधान मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश एफ 3–2/11/नियम/चार दिनांक 31.5.2011 में किया गया है</u>**। यह आदेश **अनुलग्नक– 5** पर संलग्न है।

4.2 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं के अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल विभिन्न कार्यकलापों अथवा समय समय पर किये जाने वाले संशोधन/नवीन कार्यकलापों की स्वीकृति पैरा – 4.1 में उल्लेखित आदेश के अनुक्रम में प्रदान करना होगी। **समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु यह उचित होगा कि आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में शामिल समस्त कार्यकलापों की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष के माह मार्च में ही प्रदाय कर दी जाए।** विभिन्न कार्यकलापों की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये :–

4.2.1 <u>प्रारंभिक कार्यकलापों तथा वाटरशेड विकास कार्यों की स्वीकृति</u>

4.2.1.1 इन कार्यकलापों की तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जायेगी।

4.2.1.2 पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा परियोजना के कार्य क्षेत्र में प्रारंभिक कार्यकलापों (Entry Point Work) तथा प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित वाटरशेड विकास कार्यों नामतः मृदा संरक्षण, मृदा नमी संरक्षण, सतही जल संग्रहण, भूजल संवर्धन, वृक्षारोपण/उद्यानिकी विकास, घांस उत्पादन इत्यादि का ''कार्यवार'' विस्तृत प्राक्कलन (जिले में लागू एस. ओ.आर. के आधार पर), डिजाईन एवं ड्राइंग तैयार कर जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तावित वाटरशेड विकास कार्यों के साथ संबंधित वाटरशेड समिति की अनुशंसा भी संलग्न की जायेगी। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर प्रारंभिक कार्यकलापों तथा प्रस्तावित वाटरशेड विकास कार्यों के इन प्राक्कलनों को सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो ''कार्यवार'' तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करेंगे। इन कार्यों की

तकनीकी स्वीकृति के लिए **अनुलग्नक – 6** पर दर्शाया गया प्रारूप उपयोग किया जा सकता है। यह प्रारूप सांकेतिक है, इसमें जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य जानकारी/अवयव जोड़े जा सकते हैं।

4.2.1.3 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत तदाशय की जानकारी सहित परियोजनावार प्रारंभिक कार्यकलापों तथा प्रस्तावित वाटरशेड विकास कार्यों का विवरण जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर जिला कलेक्टर प्रारंभिक कार्यकलापों तथा वाटरशेड विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करेंगे। इन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए **अनुलग्नक – 7** पर दर्शाया गया प्रारूप उपयोग किया जा सकता है। यह प्रारूप सांकेतिक है, इसमें जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य जानकारी/अवयव जोड़े जा सकते हैं।

4.2.2 <u>आयमूलक कार्यकलापों की स्वीकृति</u>

4.2.2.1 इन कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जायेगी।

4.2.2.2 पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा प्रत्येक स्वसहायता समूह हेतु चयनित आयमूलक कार्यकलाप का विस्तृत आयोजना प्रस्ताव एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र.–10 (जावक क्र.2421, दिनांक 21.2.2011) के साथ संलग्न अनुलग्नक–3 में तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार अतिरिक्त विवरण शामिल किया जायेगा :–

(1) संबंधित स्वसहायता समूह के सदस्यों का विवरण

(2) कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगने वाली अधोसंरचना/सामग्री/उपकरण की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस प्रस्ताव के साथ वांछित अधोसंरचना/ सामग्री/उपकरण के स्पेसिफिकेशन। (इन स्पेसिफिकेशन का निर्धारण भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन/भारत सरकार अथवा मध्यप्रदेश शासन के संगठनों/उपक्रमों जैसे डीजीएसएनडी/लघु उद्योग निगम/कृषि उद्योग निगम इत्यादि/प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड/सहकारी बैंक/वित्त

निगम इत्यादि द्वारा समय समय पर तय किये गये मानक स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जा सकता है।)

(3) संबंधित वाटरशेड समिति की अनुशंसा

4.2.2.3 प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में शामिल आयमूलक कार्यकलापों का उपरोक्तानुसार विस्तृत आयोजना प्रस्ताव तैयार कर पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को एकमुश्त प्रस्तुत किया जायेगा। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा इन प्रस्तावों का परीक्षण कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ समन्वयक – जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह अनुशंसा भी करेंगे कि वे प्रस्तावित कार्यकलाप के औचित्य और प्रस्ताव के विभिन्न अवयवों से संतुष्ट हैं। इस आधार पर जिला कलेक्टर प्रस्तावित आयमूलक कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करेंगे। इन कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए **अनुलग्नक–8** पर दर्शाया गया प्रारूप उपयोग किया जा सकता है। यह प्रारूप सांकेतिक है, इसमें जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य जानकारी/अवयव जोड़े जा सकते हैं।

4.2.2.4 प्रस्तावित कार्यकलाप के किसी अव्ययव के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर (उदाहरण स्वरूप कोई निर्माण कार्य होने पर) तकनीकी स्वीकृति भी प्रदाय की जायेगी। इस हेतु प्राक्कलन तैयार कराकर सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जो तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करेंगें।

4.2.3 <u>लघु उद्यम कार्यकलापों की स्वीकृति</u>

4.2.3.1 इन कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जायेगी।

4.2.3.2 पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा प्रत्येक लघु उद्यम कार्यकलाप का भी विस्तृत आयोजना प्रस्ताव एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र.–10 (जावक क्र.2421, दिनांक 21.2.11)

के साथ संलग्न अनुलग्नक–3 में दर्शाये प्रपत्र के प्रारूप में ही तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार अतिरिक्त विवरण शामिल किया जायेगा :–

(1) संबंधित हितग्राहियों का विवरण

(2) कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगने वाली अधोसंरचना/ सामग्री/उपकरण की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस प्रस्ताव के साथ वांछित अधोसंरचना/ सामग्री/उपकरण के स्पेसिफिकेशन। (इन स्पेसिफिकेशन का निर्धारण भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन/भारत सरकार अथवा मध्यप्रदेश शासन के संगठनों/उपक्रमों जैसे डीजीएसएनडी/लघु उद्योग निगम/कृषि उद्योग निगम इत्यादि/प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड/सहकारी बैंक/वित्त निगम इत्यादि द्वारा समय समय पर तय किये गये मानक स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जा सकता है।)

(3) संबंधित वाटरशेड समिति की अनुशंसा

4.2.3.3 प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में शामिल लघु उद्यम कार्यकलापों का उपरोक्तानुसार विस्तृत आयोजना प्रस्ताव तैयार कर पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को एकमुश्त प्रस्तुत किया जायेगा। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा इन प्रस्तावों का परीक्षण कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ समन्वयक – जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह अनुशंसा भी करेंगे कि वे प्रस्तावित कार्यकलाप के औचित्य और प्रस्ताव के विभिन्न अवयवों से संतुष्ट हैं। इस आधार पर जिला कलेक्टर प्रस्तावित लघु उद्यम कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करेंगे। इन कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भी **अनुलग्नक–8** पर दर्शाया गया प्रारूप उपयोग किया जा सकता है।

4.2.3.4 प्रस्तावित कार्यकलाप के किसी अव्ययव के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर (उदाहरण स्वरूप कोई निर्माण कार्य होने पर) तकनीकी स्वीकृति भी प्रदाय की जायेगी। इस हेतु प्राक्कलन तैयार कराकर सहायक यंत्री/कार्यपालन

यंत्री/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जो तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करेंगें।

4.2.4 उत्पादन प्रणाली कार्यकलापों की स्वीकृति

4.2.4.1 इन कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जायेगी।

4.2.4.2 पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा उत्पादन प्रणाली से संबंधित कार्यकलापों का भी विस्तृत आयोजना प्रस्ताव तैयार किया जायेगा, जिसमें लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों और वाटरशेड समिति की अनुशंसा को भी सम्मिलित किया जायेगा। इसके साथ ही कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगने वाली अधोसंरचना/सामग्री/उपकरण की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वांछित अधोसंरचना/ सामग्री/उपकरण के स्पेसिफिकेशन का उल्लेख भी प्रस्ताव में किया जायेगा। (इन स्पेसिफिकेशन का निर्धारण भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन/भारत सरकार अथवा मध्यप्रदेश शासन के संगठनों/उपक्रमों जैसे डीजीएसएनडी/लघु उद्योग निगम/कृषि उद्योग निगम इत्यादि/प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड/सहकारी बैंक/वित्त निगम इत्यादि द्वारा समय समय पर तय किये गये मानक स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जा सकता है।)

4.2.4.3 प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में शामिल उत्पादन प्रणाली के कार्यकलापों का उपरोक्तानुसार विस्तृत आयोजना प्रस्ताव तैयार कर पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम द्वारा जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को एकमुश्त प्रस्तुत किया जायेगा। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा इन प्रस्तावों का परीक्षण कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ समन्वयक – जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह अनुशंसा भी करेंगे कि वे प्रस्तावित कार्यकलाप के औचित्य और प्रस्ताव के विभिन्न अवयवों से संतुष्ट हैं। इस आधार पर जिला कलेक्टर प्रस्तावित उत्पादन प्रणाली के कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करेंगे। इन कार्यकलापों की

प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भी **अनुलग्नक–8** पर दर्शाया गया प्रारूप उपयोग किया जा सकता है।

4.2.4.4 प्रस्तावित कार्यकलाप के किसी अव्ययव के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी स्वीकृति भी प्रदाय की जायेगी। इस हेतु प्राक्कलन तैयार कराकर सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जो तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करेंगें।

4.2.5 प्रशासनिक मद, निगरानी एवं मूल्यांकन मद, संस्थापन मद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मद तथा समेकन चरण के निष्पादित किये जाने वाले कार्यकलापों की स्वीकृति

4.2.5.1 प्रशासनिक मद, निगरानी एवं मूल्यांकन मद, संस्थापन मद तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मद के कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जायेगी। समेकन चरण मद के कार्यकलापों के लिए तकनीकी तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जायेगी।

4.2.5.2 प्रशासनिक मद, निगरानी एवं मूल्यांकन मद, संस्थापन मद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मद तथा समेकन चरण मद से निष्पादित किये जाने वाले कार्यकलापों के लिए ''परियोजना निधि'' से राशि की मांग हेतु पी.आई.ए. / वाटरशेड डेवलपमेंट टीम/वाटरशेड समिति को विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र.–4 (जावक क्र.12685, दिनांक 20.9.2010) के साथ संलग्न अनुलग्नक–3 व 4 में वार्षिक बजट/आयोजना प्रस्ताव तैयार कर जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना है। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर इन प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरांत जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगा। जिला कलेक्टर का यह अनुमोदन ही प्रशासनिक मद, निगरानी एवं मूल्यांकन मद, संस्थापन मद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मद तथा समेकन चरण मद में पी.आई.ए. /वाटरशेड डेवलपमेंट टीम/वाटरशेड समिति द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति माना जायेगा। निगरानी एवं मूल्यांकन मद से जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर स्तर के विभिन्न कार्यकलापों के निष्पादन हेतु भी वार्षिक

बजट /आयोजना प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करना है। जिला कलेक्टर का यह अनुमोदन ही निगरानी एवं मूल्यांकन मद में जिला वाटरशेड सह डाटा सेंटर द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति माना जायेगा। उक्त मदों के कार्यकलापों के प्रस्तावों को जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करते समय इनके साथ समन्वयक – जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह अनुशंसा भी करेंगे कि वे प्रस्तावित कार्यकलाप के औचित्य और प्रस्ताव के विभिन्न अवयवों से संतुष्ट हैं।

4.2.5.3 समेकन चरण में वाटरशेड विकास कार्यों के फलस्वरूप सृजित परिसम्पत्ति/संसाधन के कार्यकलापों प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्व में उल्लेखित पैरा 4.2.1 के अनुसार ही रहेगी।

4.2.6 क्षमता निर्माण मद के कार्यकलाप की स्वीकृति

4.2.6.1 इस मद के कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जायेगी।

4.2.6.2 क्षमता निर्माण मद के कार्यकलापों के लिए ''परियोजना निधि'' से राशि की मांग हेतु पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम को विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. – 9 (जावक क्र.16425, दिनांक 4.12.2010) की कंडिका 5.1 अनुसार वार्षिक बजट/आयोजना प्रस्ताव तैयार कर जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना है। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर इन प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरांत जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगा। जिला कलेक्टर का यह अनुमोदन ही क्षमता निर्माण मद के कार्यकलापों की प्रशासकीय स्वीकृति माना जायेगा। क्षमता निर्माण के कार्यकलापों के प्रस्तावों को जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करते समय इनके साथ समन्वयक – जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह अनुशंसा भी करेंगे कि वे प्रस्तावित कार्यकलाप के औचित्य और प्रस्ताव के विभिन्न अवयवों से संतुष्ट हैं।

4.3 स्वीकृति की प्रतियां

4.3.1 उपरोक्तानुसार प्रदाय की जाने वाली प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की आवश्यक प्रतियां तैयार परियोजनावार जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर, संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/वाटरशेड डेवलपमेंट टीम तथा संबंधित वाटरशेड समितियों के रिकार्ड में संधारित की जायेंगी तथा परियोजना निधि से राशि की मांग व प्रदाय हेतु इनका उपयोग किया जायेगा।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की सभी परियोजनाओं के कार्यकलापों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) का अनुमोदन, वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की संक्षेपिका तैयार किया जाना और विभिन्न मदों के विभिन्न कार्यकलापों प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

हस्ता /–
(जयश्री कियावत)
संचालक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्र. 13710/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2011 भोपाल, दिनांक 06/09/11
प्रतिलिपि :–

1. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **जिला पंचायत– समस्त** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता /–
संचालक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
मध्यप्रदेश भोपाल

उक्त परिपत्र के अनुलग्नक पेज 14 के बाद है

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की डी.पी.आर. संक्षेपिका का प्रारूप

1. जिले का नाम – .....
2. परियोजना का क्रमांक – आई.डब्ल्यु.एम.पी परियोजना क्रमांक .....
3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की दिनांक व वर्ष – .....
4. विकास खण्ड का नाम – .....
5. क्या उक्त विकासखण्ड डी.पी.ए.पी. विकास खण्ड रहा है ? (हां / नहीं)– .....
6. परियोजना क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) – .....
7. **परियोजना के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल का विवरण : –**

क्र.	माइक्रोवाटरशेड कोड क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम व सेंसस कोड	उपचार हेतु स्वीकृत क्षेत्रफल का विवरण (हैक्टेयर में)							
				कृषि भूमि का क्षेत्रफल			पड़त भूमि (शासकीय / सामुदायिक / निजी मिलाकर) का क्षेत्रफल			अन्य	कुल स्वीकृत क्षेत्रफल
				सिंचित (केवल नहरों व तालाबों द्वारा)	वर्षा आधारित	कुल	Temporary Fallow	Permanent Fallow	Total		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9	10 (8+9)	11	12 (7+10+11)
योग											

8. भारत सरकार द्वारा आई.डब्ल्यु.एम.पी. की परियोजना निधि से स्वीकृत परियोजना लागत (रू. लाख में) – .....

.....

9. परियोजना के स्वीकृत क्षेत्रफल के भूमि स्वामित्व का विवरण :–

क्र.	माइक्रोवाटरशेड कोड क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल के भूमि स्वामित्व का विवरण (हैक्टेयर में)				
				निजी	शासकीय राजस्व / सामुदायिक भूमि	वन	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+6+7+8)
योग								

10. परियोजना के स्वीकृत क्षेत्र में जनसंख्या का विवरण :–

क्र.	माइक्रोवाटरशेड कोड क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	पुरूष					महिला					योग				
				अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य वर्ग	कुल	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य वर्ग	कुल	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (5+10)	16 (6+11)	17 (7+12)	18 (8+13)	19 (9+14)
योग																		

11. परियोजना के स्वीकृत क्षेत्र में परिवारों का विवरण :–

क्र.	माइक्रो वाटरशेड कोड क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कुल बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	कुल भूमिहीन परिवारों की संख्या	विभिन्न वर्गो के कृषक परिवारो की संख्या				विभिन्न श्रेणीवार परिवारों की संख्या				
						लघु कृषक परिवार	सीमांत / मध्यम कृषक परिवार	बड़े कृषक परिवार	कुल कृषक परिवार	अनु. जाति के परिवार	अनु.जन जाति के परिवार	अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार	अन्य वर्गो के परिवार	कुल (11+12 +13 +14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
योग														

12. परियोजना क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक व्यवस्था (उदाहरण स्वरूप कितने गांव में स्वास्थ्य केन्द्र हैं, कितने ग्रामों में बैंक हैं, कितने ग्रामों में बाजार है कितने ग्रामों में स्कूल हैं, कितने ग्रामों में आंगनबाड़ी हैं इत्यादि) –

13. पी.आई.ए. का विवरण :–

- प्रकार (शासकीय संविदा / शासकीय विभाग / एन.जी.ओ. /कारपोरेट) व कार्यालय का पता –.....
- टेलीफोन/फैक्स /ई मेल –.....
- पी.आई.ए. की डब्ल्यु.डी.टी. का विवरण :–

क्र.	सदस्य का नाम	दायित्व (टीम लीडर /टीम सदस्य)	महिला /पुरूष	दायित्व ग्रहण करने का दिनांक	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

14. परियोजना क्षेत्र में गठित उपयोगकर्ता समूहों का विवरण :–

क्र.	माइक्रो वाटरशेड का कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	गठित उपयोगकर्ता समूहों की संख्या				सदस्य संख्या				प्रत्येक श्रेणी के अनु.जाति /जन जाति सदस्यों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बी.पी.एल. सदस्यों की संख्या		
				केवल पुरूष के	केवल महिला के	दोनों के मिश्रित	कुल	श्रेणी	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
								लघु कृषक									
								सीमांत/ मध्यम कृषक									
								बड़े कृषक									
								भूमिहीन									
योग																	

15. परियोजना क्षेत्र में गठित स्वसहायता समूहों का विवरण :–

क.	माइक्रो वाटरशेड का कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	गठित स्वसहायता समूहों की संख्या				सदस्य संख्या				प्रत्येक श्रेणी के अनु.जाति /जन जाति सदस्यों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बी.पी.एल. सदस्यों की संख्या		
				केवल पुरूष के	केवल महिला के	दोनों के मिश्रित	कुल	श्रेणी	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
								लघु कृषक									
								सीमांत/ मध्यम कृषक									
								बड़े कृषक									
								भूमिहीन									
योग																	

16. परियोजना क्षेत्र में गठित वाटरशेड समितियों का विवरण :–

क.	माइक्रो वाटरशेड का कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड समिति के पंजीकरण की तिथी	पदाधिकारी व सदस्यों का विवरण	पदाधिकारी /सदस्य का नाम	महिला /पुरूष	अनु.जाति / अनु.जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग	लधु/ सीमांत /मध्यम कृषक	बड़ा कृषक	भूमि हीन	किसका सदस्य है ?		क्या ग्राम पंचायत का पदाधिकारी अथवा सदस्य है ?	शैक्षणिक योग्यता
												उपयोग कर्ता दल	स्वसहायता समूह		
1					अध्यक्ष										
					सचिव										
					सदस्य										
					सदस्य										
					सदस्य										
2					अध्यक्ष										
					सचिव										
					सदस्य										
					सदस्य										

17. पी.आई.ए. तथा वाटरशेड समितियों के परियोजना निधि खाते का विवरण

क्र.	परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी का परियोजना निधि खाता					वाटरशेड समितियों का परियोजना निधि खाता					
	बैंक तथा ब्रांन्च का विवरण	खाता खोलने की तिथी	खाता क्रमांक	खाते का प्रकार (बचत /चालू)	खाते के संचालन हेतु अधिकृत व्यक्तियों के नाम व पद नाम	माइक्रोवाटरशेड का कोड व ग्राम पंचायत	बैंक तथा ब्रांन्च का विवरण	खाता खोलने की तिथ	खाता क्रमांक	खाते का प्रकार (बचत /चालू)	खाते के संचालन हेतु अधिकृत व्यक्तियों के नाम व पद नाम

18. परियोजना के प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय नियोजन का विवरणः–

क्र.	माइक्रो वाटरशेड का कोड /ग्राम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत अनुसार आई.डब्ल्यु.एम.पी. की परियोजना निधि से **(राशि रू. लाख में)**		अन्य स्त्रोतो से **(राशि रू. लाख में)**										कुल योग **(राशि रू. लाख में)**
				अभिसरण से		पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से		जन सहभागिता		बैंक /वित्तीय संस्थान		अन्य स्त्रोत		
		केद्रांश की रशि	राज्यांश की राशि	योजना का नाम	राशि	निजी संगठन /कोरपोरेट का नाम	निजी संगठन /कोरपोरेट द्वारा योगदान की रशि	व्यक्तियों की संख्या	योगदान राशि	नाम	राशि	नाम	राशि	
योग														

19. **परियेाजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले परिणामों के संकेतकों की परियोजना क्षेत्र में वर्तमान स्थिति अर्थात परियोजना प्रारंभ होने के समय की स्थिति :–**

19.1 – <u>कृषि आधारित संकेतक</u>

संकेतक	इकाई	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....
खरीफ की फसलों के नाम	नाम				
खरीफ की फसल का रकबा	हेक्टेयर				
खरीफ की फसल की उत्पादकता	क्वि./ हेक्टेयर				
रबी की फसलों के नाम	नाम				
रबी की फसल का रकबा	हेक्टेयर				
रबी की फसल की उत्पादकता	क्वि./ हेक्टेयर				
जायद की फसलों के नाम	नाम				
जायद की फसल का रकबा	हेक्टेयर				
जायद की फसल की उत्पादकता	क्वि./ हेक्टेयर				
Total Cropped Area	हेक्टेयर				
Net Sown Area	हेक्टेयर				
फसल सघनता	प्रतिशत				

19.2 – जल संसाधन आधारित संकेतक

संकेतक	इकाई	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....
प्रमुख नदी/नालों में वर्ष में सतही जल प्रवाह की अवधि	माह				
सतही जल संग्रहण संरचनायें (नाला बंधान/चैक डेम/स्टाप डेम/ तालाब)	संख्या				
उक्त सतही जल संग्रहण संरचनाओं की जलसंग्रहण क्षमता (Storage Capacity)	घन मीटर				
भूजल संवर्धन संरचनायें (परकोलेशन तालाब/भूमिगत डाइक इत्यादि)	संख्या				
भूजल दोहन संरचनायें (कुयें/नलकूप)	संख्या				
कुओं में भूजल स्तर (भू सतह से गहराई) – प्री मानसून	मीटर				
कुओं में भूजल स्तर (भू सतह से गहराई) – पोस्ट मानसून	मीटर				
नलकूपों में भूजल स्तर (भू सतह से गहराई) – प्री मानसून	मीटर				
नलकूपों में भूजल स्तर (भू सतह से गहराई) – पोस्ट मानसून	मीटर				
सिंचाई का क्षेत्र (नहरो और तालाबों से)	हेक्टेयर				
वर्ष में पेयजल की समुचित उपलब्धता की अवधि	माह				

19.3 – भूमि आधारित अन्य संकेतक

संकेतक	इकाई	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....
पड़त भूमि	हेक्टेयर				
वृक्षारोपण (उद्यानिकी प्रजाति सहित)	हेक्टेयर				
घास/चारा उत्पादन का क्षेत्र	हेक्टेयर				
घास/चारा की उत्पादकता	क्वि./ हेक्टेयर				
सब्जी उत्पादन का क्षेत्र	हेक्टेयर				
सब्जी की उत्पादकता	कि.लो./बीघा				

19.4 – सामाजिक आर्थिक संकेतक

संकेतक	इकाई	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....	माइक्रोवाटरशेड कोड.....
पलायन करने वाले परिवार	संख्या				
Number of Persondays Migrated	संख्या				
लघु एवं सीमांत कृषकों की ऑसत मासिक आय	रूपये प्रतिमाह				

20. **प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड के डी.पी.आर. की संक्षेपिका (संलग्न सह – अनुलग्नक 1.1 और 1.2 में दर्शाये प्रारूप अनुसार)**

21. **परियोजना के सभी माइक्रोवाटरशेडों की डी.पी.आर. को एकजाई कर संपूर्ण परियोजना हेतु कार्यकलापों की एकजाई संक्षेपिका (संलग्न सह – अनुलग्नक 1.3 और 1.4 में दर्शाये प्रारूप अनुसार)**

अनुलग्नक 1 के सह अनुलग्नक 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 तथा अनुलग्नक 2 और 3 ऐक्सल फाइल में हैं

अनुलग्नक – 4

विभिन्न मदों में परियोजना निधि के संभावित वर्षवार उपयोग का सांकेतिक विभाजन

क्र.	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
1	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	1	0	0	0	0	1
2	प्रारंभिक कार्यकलाप (एन्ट्री पाइंट वर्क)	4	0	0	0	0	4
3	प्रशासनिक	2	2	2	2	2	10
4	संस्थापन एवं क्षमता निर्माण	1	1.5	1.5	0.5	0.5	5
5	वाटरशेड विकास कार्य	8	15	15	15	3	56
6	आजीविका संबंधी कार्यकलाप	1	4	4	0	0	9
7	उत्पादन प्रणाली व लघु उद्यम	1	4	4	1	0	10
8	निगरानी एवं मूल्यांकन	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	2
9	समेकन	0	0	0	0	3	3
		18.25	**27**	**27**	**19**	**8.75**	**100**

अनुलग्नक – 5

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन –भोपाल

क्र. एफ 3–2/11/नियम/चार/ भोपाल, दिनांक 31 मई, 2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

विषय :– एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) के लिए मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 1995 भाग–दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

—00—

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 1995 भाग–दो में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन विकास आयुक्त से संबंधित वित्तीय अधिकारों में निम्नलिखित अधिकारों को जोड़ा जाता है :

S. No	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation
8	To accord Administrative approval for new works under Integrated watershed management programme IWMP	Collector	Rs. 50.00 lakh
9	To accord Administrative approval for repair works under Integrated watershed management programme IWMP	Collector	Rs. 2.5 lakh
10	To accord Technical approval for new works under Integrated watershed management programme IWMP	Asstt. Engg. (RES) Executive Engg. (RES)	Rs. 5.00 lakh Rs. 50.00 lakh
11	To accord Technical approval for repair works under integrated watershed management programme IWMP	Asstt. Engg. (RES) Executive Engg (RES) Supdt Engg (RES)	Rs. 25,000.00 Rs. 1.00 Lakh Rs. 2.5 Lakh

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

/2/

पृ.क्र. एफ. 2-2/2011/नियम/चार/ भोपाल, दिनांक 21 मई 2011

प्रतिलिपि :-

01 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (ऑडिट) I/II म.प्र. ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

02 आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, पर्यावास भवन, भोपाल।

03 समस्त कमिश्नर्स/कलेक्टर्स (म.प्र.)।

(डी.के. सक्सेना)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

अनुलग्नक – 6

कार्यालय .....
.....
जिला ....., मध्यप्रदेश
तकनीकी स्वीकृति आदेश का प्रारूप

क्र. ..... /आई.डब्ल्यू.एम.पी./201.... दिनांक / /201.....

मध्यप्रदेश बुक आफ फाइनेनशियल पावर्स 1995 भाग –2 में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक **एफ 3–2/11/नियम/चार, दिनांक 31.05.2011** द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधीन जोड़े गये अधिकारों का उपयोग करते हुए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना क्र. ....., जिला..... के माइक्रोवाटरशेड (कोड नं. और नाम) ..... के कार्य क्षेत्र में अधोलिखित भाग – 1 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कार्य/कार्यों हेतु कुल राशि रूपये .....लाख (शब्दो में ..... लाख मात्र) की तकनीकी स्वीकृति अद्यतन संशोधित एस.ओ.आर. के आधार पर प्रदान की जाती है। इस कार्यों पर होने वाला व्यय एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संयुक्त रूप से प्रदत्त ''परियोजना निधि'' में अधोलिखित भाग – 2 में दर्शाये अनुसार विकलनीय होगा।

कार्य का विवरण : भाग– 1

क्र.	कार्य/कार्यों का नाम	मद (प्रारंभिक कार्यकलाप/ वाटरशेड विकास कार्य)	**कार्य स्थल का विवरण**					डी.पी.आर. पृष्ठ क्र.	तकनीकी स्वीकृति का विवरण	
			विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	स्थान/पटवारी हल्का नं. /खसरा नं.	भूमि का स्वामित्व (शासकीय/ निजी/ सामुदायिक)		राशि (रू. लाख में)	दिनांक
1.	.....									
2.	.....									
3.	.....									

स्वीकृत राशि के विकलन का विवरण : भाग– 2

क्र.	कार्य/कार्यों का नाम	**तकनीकी स्वीकृति की राशि का विवरण (राशि रू. लाख में)**				सृजित होने वाले मानव दिवस
		श्रम पर व्यय	सामग्री पर व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					

1. प्रमाणित किया जाता है कि वाटरशेड डेवलपमेंट टीम ने स्थल निरीक्षण करने के पश्चात उपरोक्तानुसार कार्य/कार्यों के ड्राइंग/डिजाईन एवं तकनीकी मानदण्ड निर्धारित कर प्राक्कलन तैयार किये गये है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्य एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोगी हैं तथा औचित्यपूर्ण हैं। इन कार्यों को पूर्व में किसी अन्य योजना में तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
3. उपरोक्तानुसार कार्य/कार्यों का कार्यान्वयन इस तकनीकी स्वीकृति के साथ **संलग्न प्राक्कलन, ड्राइंग/डिजाईन एवं तकनीकी मानदण्डों** के अनुसार कराया जायेगा। कार्यान्वयन के दौरान कार्यान्वयन

स्थल की भौगोलिक विशिष्टताओं के अनुसार कार्य में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर अद्योलिखित तकनीकी अधिकारी से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

4. उक्त कार्य/कार्यों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा संबंधित रिकार्ड एवं लेखा संधारण हेतु मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) हेतु समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार प्राक्कलन, ड्राइंग/डिजाईन एवं तकनीकी मानदण्ड

हस्ताक्षर
सक्षम तकनीकी अधिकारी का पदनाम
सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (सील)
जिला – ..... मध्यप्रदेश

अनुलग्नक – 7

कार्यालय कलेक्टर एवं मिशन लीडर
एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) – जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर
जिला ....., मध्यप्रदेश

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश का प्रारूप

क्र. ..... /आई.डब्ल्यू.एम.पी./201.... दिनांक / /201.....

मध्यप्रदेश बुक आफ फाइनेनशियल पावर्स 1995 भाग –2 में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक **एफ 3–2/11/नियम/चार, दिनांक 31.05.2011** द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधीन जोड़े गये अधिकारों का उपयोग करते हुए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना क्र. ....., जिला ..... के माइक्रोवाटरशेड (कोड नं. और नाम) ..... के कार्य क्षेत्र में अधोलिखित भाग – 1 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कार्य/कार्यों हेतु कुल राशि रूपये .....लाख (शब्दो में ..... लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य / कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी ..... (पी.आई.ए. अथवा वाटरशेड समिति का नाम) होगी। इस कार्य पर होने वाला व्यय एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संयुक्त रूप से प्रदत्त ''परियोजना निधि'' में अधोलिखित भाग – 2 में दर्शाये अनुसार विकलनीय होगा।

कार्य का विवरण : भाग– 1

क्र.	कार्य/कार्यों का नाम	मद (प्रारंभिक कार्यकलाप/ वाटरशेड विकास कार्य)	**कार्य स्थल का विवरण**					डी.पी.आर. पृष्ठ क्र.	तकनीकी स्वीकृति का विवरण		
			विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	स्थान/पटवारी हल्का नं. /खसरा नं.	भूमि का स्वामित्व (शासकीय/ निजी/ सामुदायिक)		राशि (रू. लाख में)	कमांक व दिनांक	प्रदायकर्ता अधिकारी का पदनाम व पता
1.	.....										
2.	.....										
3.	.....										

स्वीकृत राशि के विकलन का विवरण : भाग– 2

क्र.	कार्य/कार्यों का नाम	**प्रशासकीय स्वीकृति की राशि का विवरण (राशि रू. लाख में)**				सृजित होने वाले मानव दिवस
		श्रम पर व्यय	सामग्री पर व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					

उक्त कार्य/कार्यों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा संबंधित रिकार्ड एवं लेखा संधारण हेतु मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) हेतु समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।

कलेक्टर एवं मिशन लीडर
जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर
एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम
जिला – ..... मध्यप्रदेश

अनुलग्नक – 8

कार्यालय कलेक्टर एवं मिशन लीडर
एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) – जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर
जिला ....., मध्यप्रदेश

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश का प्रारूप

क्र. ..... /आई.डब्ल्यू.एम.पी./201.... दिनांक / /201.....

मध्यप्रदेश बुक आफ फाइनेनशियल पावर्स 1995 भाग –2 में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक **एफ 3–2/11/नियम/चार, दिनांक 31.05.2011** द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधीन जोड़े गये अधिकारों का उपयोग करते हुए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना क्र. ....., जिला ..... के माइक्रोवाटरशेड (कोड नं. और नाम) ..... के कार्य क्षेत्र में अधोलिखित भाग – 1 में दर्शाये गये संक्षिप्त विवरण तथा संलग्न विस्तृत आयोजना प्रस्ताव अनुसार कार्य/कार्यों हेतु कुल राशि रूपये .....लाख (शब्दो में ..... लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी .... (पी.आई.ए. अथवा वाटरशेड समिति – जो लागू हो उस पर सही का निशान अंकित करें) होगी। इस कार्य पर होने वाला व्यय एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संयुक्त रूप से प्रदत्त ''परियोजना निधि'' में अधोलिखित भाग – 2 में दर्शाये अनुसार विकलनीय होगा।

कार्य का विवरण : भाग– 1

क्र.	मद का नाम	कार्य/कार्यों का नाम	कार्य का अन्य विवरण					डी.पी.आर. पृष्ठ क्र.	लागत (रू. लाख में)
			विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	स्थान/पटवारी हल्का नं./खसरा नं. (आवश्यकता होने पर अंकित करें)	भूमि का स्वामित्व (शासकीय/निजी/सामुदायिक) (आवश्यकता होने पर अंकित करें) अथवा /और हितग्राहियों के नाम		
1.	.....								
2.	.....								
3.	.....								

स्वीकृत राशि के विकलन का विवरण : भाग– 2

क्र.	कार्य/कार्यों का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि का विवरण (राशि रू. लाख में)			
		अधोसंरचना पर व्यय	सामग्री पर व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1.	.....				
2.	.....				
3.	.....				

उक्त कार्य/कार्यों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा संबंधित रिकार्ड एवं लेखा संधारण हेतु मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) हेतु समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार विस्तृत आयोजना प्रस्ताव

कलेक्टर एवं मिशन लीडर
जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर
एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम
जिला – ..... मध्यप्रदेश